



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
 Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
 Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolkko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/76/2018/एफ.सी. /493

दिनांक: 02.11.2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
 वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO. FP/UP/ROAD/25036/2017

विषय: जनपद बांदा में नरैनी से कालींजर तक सड़क के किमी० 35.00 से 60.825 तक तथा कालींजर-बघेलाबारी सड़क के किमी० 0.00 से 1.50 तक फोर लेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- /11-सी-FP/UP/Road/25036/2017, लखनऊ, दिनांक-26.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

उक्त प्रकरण को दिनांक-30.10.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक-30.10.2018 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 34.4 U.P.) संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दी गयी अवलोकन टिप्पणी एवं निर्णय के आलोक में अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है।

भवदीय,

संलग्नक- यथोपरि।

(के० के० तिवारी)
 वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003 को उनके पत्रांक 7-18/2018 आर.ओ.एच.क्यू. दिनांक 01.10.2018 के प्रसंग में प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बांदा।
5. उप वन संरक्षक, बांदा।
6. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि० बांदा।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्यावली।

(के० के० तिवारी)
 वन संरक्षक {केन्द्रीय}